न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 32/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान प्रार्थीः– 1.रघुनाथराम पुत्र लालाराम जाति रबारी
निवासी गंगासरिया, भंवरिया, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण – **1.तहसीलदार सेड़वा 2.अरजन पुत्र लालीया उर्फ लालाराम**
3.लूंगा पत्नि लालीया उर्फ लालाराम, जाति रबारी
निवासी गंगासरिया, भंवरिया, तहसील सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री मोहनसिंह सोढ़ा**

निर्णय

दिनांक :– 22.06.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्राथी सं. 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गंगासरा पटवार क्षेत्र भंवरिया तहसील सेड़वा में खसरा सं. 09 रकबा 10.09 बीघा व खसरा सं. 285 / 151 रकबा 25.08 बीघा, कुल रकबा 35.17 बीघा का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 व 3 पिता व पति लालीया उर्फ लालाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। लालीया उर्फ लालाराम के फौत होने पारित नामान्तरकरण प्रार्थी व विप्रार्थी 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई। लालीया उर्फ लालाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण में प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुनाथराम अंकित न होकर उसके स्थान पर महादेवा अंकित हो गया जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुनाथराम पुत्र लालाराम है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का नाम रघुनाथराम के स्थान पर महादेवा पुत्र लालीया अंकित कर दिया। इसलिए प्रार्थी अपना नाम रघुनाथराम पुत्र लालाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सेड़वा को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया । विप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प भंवरिया में पेश हुई

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

। पक्षकार उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश कर कहा कि प्रार्थी का नाम महादेवा के स्थान पर रघुनाथराम पुत्र लालाराम किया जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त मौजा गंगासरा पटवार क्षेत्र भंवरिया तहसील सेड़वा में खसरा सं. 09 रकबा 10.09 बीघा व खसरा सं. 285/151 रकबा 25.08 बीघा, कुल रकबा 35.17 बीघा भूमि के संबंध में लालीया उर्फ लालाराम के फौत होने पारित नामान्तरकरण में राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुनाथराम अंकित न होकर उसके स्थान पर महादेवा अंकित हो गया जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुनाथराम पुत्र लालाराम है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का नाम रघुनाथराम के स्थान पर महादेवा पुत्र लालीया अंकित कर दिया।

प्रार्थी द्वारा पेश मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम रघुनाथराम पुत्र लालाराम दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम महादेवा पुत्र लालीया के स्थान पर रघुनाथराम पुत्र लालाराम दुरस्त करना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा गंगासरा पटवार क्षेत्र भंवरिया तहसील सेड़वा में खसरा सं. 09 रकबा 10.09 बीघा व खसरा सं. 285/151 रकबा 25.08 बीघा, कुल रकबा 35.17 बीघा में प्रार्थी का नाम महादेवा पुत्र लालीया के स्थान पर रघुनाथराम पुत्र लालाराम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प भंवरिया में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 1473 दिनांक 27/6/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 32 / 17 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान रघुनाथराम बनाम तहसीलदार सेड़वा वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन